

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), म०प्र० भोपाल

क्रमांक/मु०व०सं०३०/राजस्व-१/२००५/२३७२

भोपाल, दिनांक ११-७-०५

प्रति,

१. समस्त वन संरक्षक,  
मध्यप्रदेश
२. समस्त वनमण्डलाधिकारी,  
मध्यप्रदेश

विषय:- कूप एवं डिपों में हुए नाम के अंतर के संदर्भ में छूट दिये जाने बाबत ।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मु०व०सं०३०/राजस्व-१/९६५४ दिनांक १३.१०.१९९७

लट्ठों एवं बल्लियों के कूपों में लिये गये नाप में अंतर आने के कारणों के संबंध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा कूपों में नाप करते समय छूट दिये जाने बाबत स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं । पत्र की प्रति संलग्न है । डिपों में माप में निर्धारित से अधिक अंतर आने पर डिपो प्रभारी इसकी जानकारी वनमण्डलाधिकारी उत्पादन को प्रस्तुत करेंगे कि किस कूप से निर्धारित मात्रा से अधिक अंतर आ रहा है । डिपो प्रभारी संबंधित कूप प्रभारी/परिक्षेत्र अधिकारी को भी लिखित में सूचित करेंगे कि उनके कूप में निर्धारित अलाउंस से कितना अंतर ज्यादा आया है । ताकि संबंधित कूप प्रभारी अंतर के कारणों का पता लगा कर स्थिति स्पष्ट कर सकें । तदोपरांत संदर्भित पत्र क्रमांक ९६५४ दिनांक १३.१०.१९९७ के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन)

म०प्र० भोपाल